

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगो।

पत्रांक:- 1301
दिनांक:- 24/11/21

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
मानगो।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
मानगो नगर निगम,
जमशेदपुर।

विषय:-

सुरेन्द्र शर्मा पिता बनारसी शर्मा द्वारा धारित भूमि का सत्यापन करने के संबंध में।

प्रसंग:-


आपका पत्रांक- 1825, दिनांक- 16.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व कागजातो के साथ जाँच कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा- अ0क्षे0 मानगो वार्ड नं0- 10, खाता नं0- 210, प्लॉट नं0- 3862, रकवा- 4.12 डि0 भूमि पंजी II भाग वर्तमान- 104 पृष्ठ संख्या- 40 पर SRI SURENDER SHARMA पिता BANARSHI SHARMA के नाम पर जमाबंदी कायम है, हाल सर्वे 1979 के खतियान में यह भूमि पठान गौड़ पदु गौड़ पिता नादु गौड़ के नाम पर दर्ज है, जो C.N.T. ACT 46 के अन्तर्गत नहीं आता है।

अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु प्रेषित

विश्वासभाजन


अंचल अधिकारी
मानगो।